



कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.)



क्र./५४/रा.वि./न.पा.नि./2026

रायगढ़, दिनांक २२/०५/२०२६

॥ निविदा आमंत्रण सूचना ॥

नगर पालिक निगम, रायगढ़ अधिनस्थ 02 जोन में 10 स्थलों पर स्थापित यूनिपोल विज्ञापन बोर्ड में आगामी 05 वर्षों के लिए विज्ञापन लगाये जाने हेतु विज्ञापन एजेंसियों से स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से दिनांक 29/04/2026 को अपराह्न 04.00 बजे तक मुहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र मूल्य रु. 500.00 नगद जमा कर दिनांक 28/04/2026 तक कार्यालयीन अवधि में प्राप्त किये जा सकते हैं।

निर्धारित समयावधि में प्राप्त निविदायें दिनांक 30/04/2026 को सायं 04:00 बजे नगर निगम, रायगढ़ में उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जावेगी।

निविदा हेतु नियम व शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. प्रत्येक जोन हेतु पृथक-पृथक निविदा-प्रथम लिफाफा में अमानत राशि के रूप में रु. 25,000.00 का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ के नाम से एवं जी.एस.टी.पंजीयन प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, ITR रिपोर्ट 2022-23 से 2024-25, समान कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र तथा द्वितीय लिफाफा में निविदा प्रपत्र होगा। दोनों लिफाफा एक लिफाफा में भरकर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रेषित करना होगा अन्यथा निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं होगा।
2. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।
3. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ के पास सुरक्षित होगा। इस हेतु कोई कारण नहीं बताया जावेगा।
4. विस्तृत निविदा सूचना तथा नियम एवं शर्तें निविदा प्रपत्र के साथ उपलब्ध होंगी तथा वेबसाइट www.nagarnigamraigarh.com पर अवलोकन की जा सकती है।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक २२/०५/२०२६

पृ. क्र. ५४ /रा.वि./न.पा.नि./2026

प्रतिलिपि:-

1. मान.महापौर/सभापति/नेता प्रतिपक्ष नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, नगर पालिक निगम रायगढ़ को सूचनार्थ।
3. कार्यपालन अभियंता, नगर पालिक निगम रायगढ़ को सूचनार्थ।
4. कार्यालय अधीक्षक/लेखापाल, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सादर सूचनार्थ।
5. प्रोग्रामर, नगर पालिक निगम रायगढ़ को वेब साईड में अपलोड करने हेतु सूचनार्थ।
6. सहायक जन संपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम रायगढ़, उक्त सूचना का दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाने हेतु सूचनार्थ।
7. कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)



कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.)



क्र.५४/रा.वि./न.पा.नि./2026

रायगढ़, दिनांक 02/04/26

॥ निविदा आमंजण सूचना की नियम व शर्तें ॥

(A) निविदा की अनिवार्य शर्तें:-

- छ.ग. राजपत्र रायपुर दिनांक 07 अगस्त 2012 विज्ञापन व्यवसाय/विनियमन हेतु आदर्श उपविधि के समस्त नियम व शर्तें लागू होगी।
- नगरीय निकाय/किसी शासकीय/अर्धशासकीय कार्यालय का समान कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र (कार्यालय प्रमुख/विज्ञापन अधीक्षक से जारी प्रमाण पत्र)
- अमानत राशि के रूप में रु. 25,000.00 का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ के नाम से प्रथम लिफाफा में संलग्न करना होगा।
- विगत 03 वर्षों का ITR रिपोर्ट जमा करना होगा (वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक)
- जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र एवं पैन कार्ड संलग्न करना होगा।
- सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।

(B) निविदा की सामान्य शर्तें:-


1. यूनियोपल विज्ञापन बोर्ड का विवरण:-

क्र.	स्थापित यूनियोपल स्थल का नाम	संख्या	साईज	वर्गफुट
जोन क्रमांक -01				
1	कमलानेहरू पार्क चक्रधरनगर रोड़	5	20x10	1000
2	स्टेशन चौक कांग्रेस कार्यालय के पास	1	20x10	200
3	नटवर स्कूल गेट के पास	1	20x10	200
जोन क्रमांक -02				
1	मटन मार्केट के पास केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड	1	40x20	800
2	घड़ी चौक, गणेश तालाब के पास	2	40x20	1600
3	घड़ी चौक गणेश तालाब परिसर	1	20x20	400
4	नटवर स्कूल के सामने, स्टेशन चौक	1	30x20	600
5	जिंदल रोड़ भगवानपुर	1	40x20	800
6	केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड पशु चिकित्सालय के पास	1	15x10	150
7	केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड पशु चिकित्सालय के पास	1	20x10	200
कुल :-		15		5950

- प्रत्येक जोन हेतु पृथक-पृथक निविदा-प्रथम लिफाफा में अमानत राशि के रूप में रु. 25,000.00 का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ के नाम से एवं जी.एस.टी.पंजीयन प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, ITR रिपोर्ट 2022-23 से 2024-25, समान कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र तथा द्वितीय लिफाफा में निविदा प्रपत्र होगा। दोनो लिफाफा एक लिफाफा में भरकर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रेषित करना होगा अन्यथा निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं होगा।
- नगर पालिक निगम रायगढ़ के बकायादार का निविदा स्वीकार नहीं होगा।
- यूनियोपल विज्ञापन बोर्ड की न्यूनतम दर 600/- रु. प्रति वर्गफुट होगी इससे कम की निविदा की स्वीकृति नहीं की जावेगी। प्राप्त अधिकतम दर की स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी। अधिकतम दर की स्वीकृति पश्चात आगामी प्रत्येक वर्षों में 15 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी।
- निविदा स्वीकृति पश्चात एक वर्ष की संपूर्ण राशि एक माह के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा, राशि जमा नहीं होने की स्थिति में अनुबंध समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
- समस्त विज्ञापन बोर्ड (संरचना) नगर पालिक निगम, रायगढ़ की संपत्ति मानी जावेगी, जिसमें एजेंसी को किसी प्रकार का तोड़-फोड़ या फेरबदल करना पूर्णतः प्रतिबंधित होगी।
- निविदा अवधि में यूनियोपल विज्ञापन बोर्ड का मरम्मत, देख-रेख एवं रंगाई-पोताई एवं अन्य व्यय की जिम्मेदारी निविदा प्राप्त एजेंसी की होगी।

क्रमशः2

8. निविदा में यूनियोपल की संख्या में कमी करने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम रायगढ़ को होगा।
9. छत्तीसगढ़ शासन/कलेक्टर रायगढ़ एवं नगर निगम द्वारा जनहित में जारी किये गये विज्ञापन को होर्डिंग्स में लगाना अनिवार्य होगा, जिसके लिये किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क प्रदान नहीं किया जावेगा।
10. यूनियोपल में विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता होने पर संबंधित एजेंसी को विद्युत व्यय का स्वयं भुगतान करना होगा।
11. यूनियोपल में विद्युत कनेक्शन हेतु सफल निविदाकार एजेंसी को अनापत्ति पत्र दिया जा सकेगा। विद्युत कनेक्शन निविदाकार को स्वयं के व्यय पर लेना होगा एवं देयकों का भुगतान उसे स्वयं करना होगा।
12. आकस्मिक/प्राकृतिक दुर्घटना के कारण यदि लगाया गया स्ट्रक्चर एवं विज्ञापन बोर्ड गिरता है तथा इससे जन-धन की हानि होती है तो इसकी क्षतिपूर्ति आवेदक/विज्ञापन एजेंसी द्वारा किया जावेगा तथा इससे संबंधित कोई भी दावा आपत्ति, क्षतिपूर्ति/घटना-दुर्घटना इत्यादि के लिये सम्पूर्ण जवाबदेही/जिम्मेदारी आवेदक/विज्ञापन एजेंसी की होगी।
13. प्रत्येक विज्ञापन बोर्ड का संबंधित एजेंसी द्वारा तृतीय पक्ष का बीमा कराया जाना अनिवार्य होगा।
14. जनहित व सुरक्षा की दृष्टि से अथवा सड़क चौड़ीकरण या अन्य आवश्यकता होने पर आवेदक संस्था/विज्ञापन एजेंसी को जारी अनापत्ति कभी भी निरस्त की जा सकती है, जो कि आवेदक विज्ञापन एजेंसी को स्वीकार होगी।
15. निविदाकार एजेंसी स्थापित यूनियोपल में शासन द्वारा प्रतिबंधित वस्तुओं एवं अश्लील विज्ञापनों का प्रदर्शन नहीं करेगा।
16. निविदाकार किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय या नगरीय निकाय आदि में कालीसूची में दर्ज न हो।
17. निविदा स्वीकृति होने पर एक सप्ताह के अंदर सफल निविदाकर्ता को 50/- रुपये का गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर में अनुबंध निष्पादित करना होगा अन्यथा उक्त निविदा स्वमेव निरस्त समझी जावेगी एवं नवीन निविदा आमंत्रित करने का अधिकार नगर पालिक निगम, रायगढ़ को होगा तथा इसके परिणाम स्वरूप होने वाली समस्त क्षति की वसूली निविदाकर्ता से की जावेगी।
18. स्वच्छता, सुरक्षा सार्वजनिक व्यवस्था या जनहित में किसी विज्ञापन बोर्ड को हटाये जाने का पूर्ण अधिकार नगर पालिक निगम, रायगढ़ को होगा।
19. उपरोक्त नियम के अतिरिक्त अन्य नियम व शर्तें अनुबंध पत्र पर होगी।
20. समय-समय पर शासन, महापौर, आयुक्त द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
21. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ के पास सुरक्षित होगा। इस हेतु कोई कारण नहीं बताया जावेगा।


 आयुक्त
 नगर पालिक निगम
 रायगढ़ (छ.ग.)